सत्यनारायण अग्रवाल

बनाम

आसाम राज्य

26 अप्रेल, 2007

(डॉ. अरिजित पासायत एवं डी. के. जैन, न्यायमूर्तिगण)

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 433/खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एसएस. 7 एवं 16(1)

खाद्य अपमिश्रण-मिर्ची पाउडर-अपमिश्रित-विचारण न्यायालय ने अभियुक्त दुकानदार को अधिनियम 1954 की अन्तर्गत धारा 7 सपठित धारा 16(1) के तहत अपराध का दोषी पाया और तदानुसार सजा दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज की। उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील खारिज की। संबंधित सरकार ने धारा 433 का प्रार्थना पत्र खारिज किया-अपील-गुण दोषों के आधार पर खारिज की। अपीलार्थी यदि उसे इस प्रकार की राय प्राप्त होती है तो वह राज्य सरकार द्वारा धारा 433 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित आदेश को चुनौती दे सकता है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की दुकान से मिर्ची पाउडर का एक नमुना लिया गया था जो अपमिश्रित पाया गया। विचारण न्यायालय ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 16(1) के तहत

अपीलार्थी को छः माह के साधारण कारावास और 1,000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्घ अपील सत्र न्यायालय द्वारा खारिज की गयी। निगरानी याचिका उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा खारिज की गयी। अतः यह अपील प्रस्तुत है।

अपीलांट का यह कथन है कि उच्च न्यायालय द्वारा उसे सीधे परिवीक्षा पर छोड़ा जाना चाहिए था अथवा हिरासती कारावास के स्थान पर जुर्माने की सजा करनी चाहिए थी।

न्यायालय ने अपील खारिज की। इस प्रकरण में उत्तरदाता के अधिवक्ता का यह कथन है कि धारा 433 संहिता का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है इसलिए इस अपील में कोई सार नहीं है। उसे खारिज किया जावे। यद्यपि अपीलार्थी को यदि इस प्रकार की राय प्राप्त होती है तो वह धारा 433 संहिता के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को चुनौती दे सकता है।

एन. सुकुमरण नैयर बनाम खाद्य निरीक्षक, मवेलीकरा [1997] 9 एससीसी 101 एवं सन्तोष कुमार बनाम म्युनुसिपल कॉरपोरेशन एवं अन्य [2000] 9 एससीसी 151,

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार: फौजदारी अपील संख्या 629/2007

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फौजदारी निगरानी संख्या 208/93 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.08.2001 से।

निलोफर कुरेशी, शंकर दिवाते और विपिन कुमार मुमताज अहमद-अपीलार्थी की और से।

जे. आर. लुवंग (मैसर्स कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप)-अप्रार्थी की और से।

न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया-

डॉ. अरीजित पासायत, जे.

1. अनुमति दी गयी।

2. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया उसे इस अपील के जरिए चुनौती दी गयी है।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि:

4. अपीलार्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (संक्षिप्त में "अधिनियम") की धारा 7 सपठित धारा 16(1) के तहत विचारण न्यायालय ने अपराध का दोषी पाया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गयी। निगरानी याचिका जैसा कि ऊपर वर्णित है उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गयी।

5. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि-

दिनांक 20.5.1987 से खाद्य निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी की दुकान से मिर्ची पाउडर का नमूना लिया गया जिस नमूने को संबंधित प्रयोगशाल में परीक्षण हेतु भिजवाया गया और परीक्षण में उक्त नमूना अपमिश्रित पाया गया। अपीलार्थी की अन्वीक्षा की गयी। विचारण न्यायालय ने प्रकरण की समाप्ति पर अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7 सपठित धारा 16(1) के तहत अपराध का दोषी मानते हुए छः माह के कारावास और 1,000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश डिब्रुगढ़ के समक्ष प्रस्तुत अपील खारिज की गयी जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एकल न्यायाधीश ने निगरानी याचिका भी खारिज की।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने इस तथ्य पुनः बल देते हुए कहा है जो उन्होंने निचले न्यायालय में भी कहा था कि यह मामला मिथ्या छाप का है। अतः इस मामले में न्यूनतम सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। उच्च न्यायालय ने उनके इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और इसे मिथ्या छाप का मामला नहीं माना। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को सीधे परिविक्षा पर रिहा किया जाना चाहिए था या हिरासत में कारावास के स्थान पर जुर्माने की सजा दी जानी चाहिए थी।

8. दूसरी तरफ विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य ने निर्णय का समर्थन किया है उच्च न्यायालय ने यह माना कि इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। यद्यपि उसने जुर्माना 5,000/-रूपए तक बढ़ा दिया और अपीलार्थी से यह अनुमति प्रदान की कि वह धारा 433 संहिता, 1973 (संक्षिप्त में "संहिता") के तहत राज्य सरकार के पास जाए।

9. [1997] 9 एससीसी, एन सुकुमरण नैयर बनाम खाद्य निरीक्षक, मवेलीकरा में इस न्यायालय ने अभिनिर्णित किया है कि ::-

> "अपराध वर्ष 1984 में घटित हुआ था। अपीलार्थी को छः माह के साधारण कारावास और 1,000/-रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। धारा 433 संहिता के क्लोज(डी) के तहत समुचित सरकार को साधारण कारावास और जुर्माने में लघुकरण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। हमारी राय में यह एक समुचित मामला है जिसमें सजा को लघु किया जा सकता है, क्योंकि लगभग दस वर्ष व्यतीत हो गए हैं। अतः हम अपीलार्थी को निर्देश देते हैं कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष 6,000/-रूपए बतौर जुर्माना छः माह के कारावास को लघुकरण करने के लिए आज से छः सप्ताह में जमा कराए और समुचित सरकार को उक्त जुर्माना जमा कराने की सूचना दे। उक्त जुर्माना जमा होने पर राज्य सरकार औपचारिक रूप से धारा 433 क्लोज (डी)

फौजदारी संहिता के तहत इस संबंध में समुचित आदेश पारित करे।"

10. *[2000]9 एससीसी 151, सन्तोष कुमार बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन व अन्य* में भी इसी प्रकार का सिद्घान्त निम्न प्रकार से दिया गया है ::-

"अपीलार्थी को निर्देश देते हैं कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष छः माह के कारावास की सजा को लघुकरण करने के लिए 10,000/-रूपए की राशि आज से छः सप्ताह के अंदर विचारण न्यायालय में जमा कराए और राज्य सरकार को जुर्माना जमा होने की सूचना दे। जुर्माना जमा होने पर राज्य सरकार मामले को औपचारिक रूप से लेकर धारा 433 क्लोज (डी) संहिता के तहत समुचित आदेश पारित करे। तब तक अपीलार्थी जमानत पर रहेगा।"

11. दोनों मामलों में ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि सजा औपचारिक मात्र है। दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार भी सजा को औपचारिक कर सकती है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने कहा है कि धारा 433 संहिता का प्रार्थना पत्र पूर्व में ही खारिज हो चुका है।

12. हम इस अपील में कोई आधार नहीं पाते हैं और तदानुसार खारिज करते हैं। यद्यपि अपीलार्थी को यदि ऐसी राय मिलती है तो वह राज्य सरकार के धारा 433 संहिता के आदेश को चुनौती दे सकता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रतीश कुमार गर्ग (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।